राजस्थान सरकार

लय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेडा जिला–भीलवाडा

ीन अधिकारी :– बन्शी धर योगी आर०ए०एस०

संख्या :– 128/24 पु० क०

लक्ष्मण पुत्र मोहन लाल कुमार नि० कोमाली – तह० करेड़ा – भील०

र्थी

बनाम

गोपाल S/o नारायण लाल कुमार नि० कोमाली – तह० करेड़ा – भील०

विपक्षीगण.

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा0भू0रा0अधि0 1956

दिनांक 12/6/24

:: आदेश ::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा0भू0राज0अधि0 1956 के तहत प्रस्तुत नेवेदन किया कि ग्राम कोमाली पटवार हल्का कोमाली तहसील करेड़ा में उसके खाते/संयुक्त की खाता संख्या 151 आराजी नम्बर 2838, 4450/2837, 4453/2839, ... कुलकिता 3 रकबा 0.3541 हैक्टेयर भूमि है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदाविया के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/ संयुक्त खातें की भूमि की रगढी के आदेश प्रदान कराये जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 9/4/24 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को लोकनार्थ से यह बात सिद्व है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एंव कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढी ने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा–फैरी का अदेंशा नही है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इनत तथ्यों का देखते नैसर्गिक की न्यायिक सिद्वान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111–128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम कोमाली पटवार हल्का कोमाली तहसील करेड़ा में स्थित खाता संख्या) आराजी नम्बर 2838, 4450/2837, 4453/2839, ... कुलकिता 3 रकबा 0.3541 हैक्टेयर भूमि चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने हेतु भू– अभिलेख निरीक्षक. कोमाली को 450/– /– रुपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावे। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनायें रखते हुये मुस्तकील बिन्दु को ... कर पत्थरगढी की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढी नही की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Banshi Dhar Yogi
Date: 2024.06.21 15:55:06 IST
Reason: SelfAttested

संलग्नः– प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपि

उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर
करेड़ा जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि :– तहसीलदार करेड़ा को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर भीलवाड़ा